

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-20032021-226026
SG-DL-E-20032021-226026

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 2021/फाल्गुन 28, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 365
No. 91]	DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 2021/PHALGUNA 28, 1942	[N. C. T. D. No. 365

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 मार्च, 2021

सं. फा. 14(71)/एलए-2021/cons2law/11-19.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 16 मार्च, 2021 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

“दिल्ली विनियोग (संख्या 01) अधिनियम, 2021

(2021 का दिल्ली अधिनियम 01)

(9 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[16 मार्च, 2021]

वर्ष 2020-2021 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2021 है।

₹ 891,87,40,000/- का वर्ष 2020-2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए आठ सौ इक्यानवे करोड़ सत्तासी लाख चालीस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2020-2021 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रु हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	400	500	900
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	627800	307800	935600
		पूँजी	150000	0	150000
4	वित्त	राजस्व	600	0	600
		पूँजी	100	0	100
5	गृह	राजस्व	252650	1500	254150
6	शिक्षा	राजस्व	3800	1000	4800
		पूँजी	100	0	100
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	1014003	450	1014453
		पूँजी	156825	377	157202
8	समाज कल्याण	राजस्व	3250	0	3250
		पूँजी	100	0	100
9	उद्योग	राजस्व	2700050	0	2700050
10	विकास	राजस्व	2805219	0	2805219

11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	879316	10600	889916
		पूँजी	2300	0	2300
	योग		8596513	322227	8918740

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 19th March, 2021

No. F. 14(71)/LA-2021/cons2law/11-19.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 16th March, 2021 and is hereby published for general information:-

“THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2021

(DELHI ACT 01 OF 2021)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 9th March, 2021)

[16th March, 2021]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2020-2021 .

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy -second Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2021.

Issue of ₹ 891,87,40,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2020-2021.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees Eight Hundred Ninety One Crore Eighty Seven Lakh and Forty Thousand Only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2020-2021 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
2	General Administration	Revenue	400	500	900
3	Administration of Justice	Revenue	627800	307800	935600
		Capital	150000	0	150000
4	Finance	Revenue	600	0	600
		Capital	100	0	100
5	Home	Revenue	252650	1500	254150
6	Education	Revenue	3800	1000	4800
		Capital	100	0	100
7	Medical and Public Health	Revenue	1014003	450	1014453
		Capital	156825	377	157202
8	Social Welfare	Revenue	3250	0	3250
		Capital	100	0	100
9	Industries	Revenue	2700050	0	2700050
10	Development	Revenue	2805219	0	2805219
11	Urban Development and Public Works	Revenue	879316	10600	889916
		Capital	2300	0	2300
	Total		8596513	322227	8918740

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.)